

15-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आयोग द्वारा केम्प में रखने हेतु पत्रावली को केम्प स्थल पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी है, पत्रावली दिनांक 5-6-18 को केम्प स्थल पर पेश की

उपरखण्ड मजिस्ट्रेट  
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

5-6-18 पत्रावली न्याय आयोग द्वारा शिबिर करावाड़ा पर पेश हुई। पत्रावली में वारी एवं उत्तिवादी अनुपस्थित है पत्रावली दिनांक 31-8-18 को पेश की

उपरखण्ड मजिस्ट्रेट  
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

31-8-18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वारी एवं वारी अधिवक्ता अनुपस्थित है पत्रावली में उत्तिवादी अधिवक्ता उपस्थित है पत्रावली में वारी एवं वारी अधिवक्ता को तीन-तीन बार आवाज लगाया गया फिर भी उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली में आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम दोजरी अदम पेशी में वाद खारीज किया जाता है। निष्पत्ति खुले न्यायालय में खुलासा गया। पत्रावली केवल शुमार ही। दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार है।

उपरखण्ड मजिस्ट्रेट  
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)